**भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और धारा 420 सपठित धारा 120 ख के अधीन अपराध**

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट...........

दाण्डिक परिवाद सं. ..................

प्रथम सूचना सं. ...................सन ...............................

थाना .....................................

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवम् धारा 420 सपठित धारा 120 के अधीन अपराध

सुनवाई की अगली तारीख ................................... के मामले में : .....................

अबक .............वादी

बनाम

1. कखग
2. चछज ............प्रतिवादी

**प्रतिवादी परिवादी की ओर से विरोध याचिका अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है –**

1. यह कि परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवम् 420 सपठित धारा 120 के अधीन एक परिवाद दाखिल किया। तारीख ................................... को परिवादी द्वारा दाखिल किये गये परिवाद की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न किया जाता है और उपबन्ध 'अ' के रूप में चिन्हाकित किया जाता है।
2. यह कि विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने मामले को रजिस्ट्रीकृत करने तथा मुद्दे का अन्वेषण करने के लिए थानाध्यक्ष, थाना ................. को निर्देश दिया : देखे : प्रथम सूचना सं. ...................................... और अन्वेषण प्रारम्भ किया।
3. यह कि थानाध्यक्ष, थाना ................ से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट तारीख ................... को विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की गयी।
4. यह कि थानाध्यक्ष, थाना ............................... ने प्रथम सूचना सं ............................... के अधीन अपराधी का विवेचना की थी और निनलिखित व्यक्तियों के कथनों को अभिलिखित किया।
5. (व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें)
6. (मामले के तथ्यों का विवरण दे)
7. (मामले के तथ्यों का विवरण दे)
8. (मामले के तथ्यों का विवरण दे)
9. (मामले के तथ्यों का विवरण दे)
10. (मामले के तथ्यों का विवरण दे)
11. (मामले के तथ्यों का विवरण दे)

**आधार**

* 1. यह कि विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों के ध्यान में रखे बिना अभिलेख दाखिल करने की फाइल को समनुर्देशित करने वाला आदेश करके मामले के तथ्थों एवम परिस्थितियों पर अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करने में असफल हो गया है।
  2. यह कि विचारण न्यायालय अभिलेख की फाइल सौपने वाला आदेश करने तथा सुने जाने का एक अवसर देने के पूर्व परिवादी को नोटिस दिया है।
  3. यह कि विचारण न्यायालय का संदिग्र्धार्थी आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है जहाँ उन्होंने वर्गीकृत ढंग से यह अभिनिर्धारित किया कि परिवादी को अवश्य सुना जाना चाहिए।
  4. यह कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य तथा विधि के विरुद्ध है।
  5. यह कि विद्वान विचारण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल हो गया कि कार्यवाही परिवाद के आधार पर मामले पर प्रारम्भ की गयी थी जो कभी नहीं खारिज की गयी और ऐसे रूप में अभिलेख कक्ष को फाइल सौप देने का कोई भी प्रश्न नहीं था।

**प्रार्थना**

अतएव यह प्रार्थना की जाती है

1. यह कि इसमें इसके पूर्व वर्णित दशा को ध्यान में रखकर आदरणीय मेट्रो पालिटन मजिस्ट्रेट थाना ............... अन्वेषण अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकृत करने तथा विधि के अनुसार धारा 406 एवम् धारा 420 भा. द. सं. सपठित धारा 120 भा. द. सं. के अधीन अपराधी के लिए आरोपों का सामना करने के लिए अभियुक्त को समन करने की कृपा करें और
2. यह कि आदरणीय मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट को ऐसे अग्रिम आदेश (आदेशों) को पारित करने की कृपा करे जो मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों पर न्याय कर सके।

परिवादी जरिये अधिवक्ता